अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27(317) ग्राविवि / ग्रुप–5 / पीएमएवाई / गुणवत्ता नियंत्रण / 2017–18 — जयपुर, दि. 25 अप्रैल, .2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् (ग्राविप्र) अलवर, बांसवाडा, भरतपुर,
श्रीगंगानगर, जयपुर, राजसमंद, सीकर, सिरोही,
सवाई माधोपुर एवं उदयपुर

विषय :– निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परीक्षण हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने बाबत।

प्रसंग :– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2017, 05.09.2017 एवं 26.10.2017, 15.01.2018, 09.02.2018, 28.02.2018 एवं 21.03.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा विभागीय कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर एक–एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला दिनांक 31.03.2018 तक स्थापित करने एवं प्रयोगशाला स्थापित होने तक आवश्यकतानुसार मोबाईल लैब की सेवा उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। प्रासंगिक पत्रों द्वारा एवं बार–बार मौखिक रूप से दूरभाष पर स्मरण कराने के उपरान्त भी आपके जिले की सभी पंचायत समितियों में गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना की सूचना भी आदिनांक तक अप्राप्त रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत सेक–2011 के डाटा मैपिंग आदि के संबंध में इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, जयपुर में दिनांक 27.04.2018 को प्रस्तावित एक दिवसीय कार्यशाला में सभी पंचायत समितियों में गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना का प्रमाण पत्र संबंधित योजना प्रभारी के साथ भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

भवदीय,

25/4

(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियंता, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. जिला कलक्टर अलवर, बांसवाडा, भरतपुर, श्रीगंगानगर, जयपुर, राजसमंद, सीकर, सिरोही, सवाई माधोपुर एवं उदयपुर।
4. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)